

दिनांक: 19/01/2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जोधपुर

श्रीमान उप वन संरक्षक,
नागौर

(Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

विषय :- Diversion of 0.5428 Ha. forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,44,669 / -

19/01/24
अनाज असेरी/DHANKAJASERI
अन प्रमोवक/Dy. Manager
एन०आर-1, नागौर, टी०एल०सी०
नरिड सीका दासविजय लिमिटेड

		2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 2,10,333 /— औषधीय वृक्षारोपण कुल राशि : 3,55,002 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए.सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि के कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं जो कि वन मण्डलवार निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 3,15,000 /— 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 1,98,000 /— क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कुल राशि : 5,13,000 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करवा दी गयी है। जिसका विवरण वन मण्डलवार नियमानुसार है:- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,48,235 /— 2. कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर रु. 2,15,517 /— एन.पी.वी की कुल राशि : 3,63,752 /— Reference Number: 2100073146011301, UTR No. SBIN224012060219 Date: 11.01.2024 जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

19/01/24
Dy. Manager
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार

15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न हैं।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Place: Nagaur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक

19/01/2014
धनराज आसरी/Dy. Manager
एन०आर-1, नगीर, टी०एल०सी०
पावरग्रिड सेक्टर दोसममान विभिदेई

दिनांक: 19/01/2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
जोधपुर



श्रीमान उप वन संरक्षक,
नागौर

(Online Proposal No. FP/RJ/TRANS/142545/2021)

विषय :- Diversion of 0.5428 Ha. forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 06.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से आवेदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :- 1. कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर रु. 1,44,669/-

19/01/24
उप वन संरक्षक, जोधपुर
जयपुर

15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।
16	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।	GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा आदेशों पालना की जावेगी। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Place: Nagaur

24/01/24
 Name: धनराज अमरी
 Office Seal & Signature:
 Designation: उप-प्रबंधक

Condition No. 01

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur


Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक

Condition No. 02

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

धनराज आसेरी
19/01/2024
Authorized By Manager
District & State Disputes
Nagaur District Disputes

धनराज आसेरी

उप - प्रबंधक

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

धनराज आसेरी
19/01/2024
धनराज आसेरी / धनराज आसेरी
अधीनस्थ / धनराज आसेरी
अधीनस्थ - 1, एन.टी. धनराज आसेरी
अधीनस्थ धनराज आसेरी

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा तथा उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/01/2024
धनराज आसेरी
Manager / Dy. Manager
राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड
जोधपुर

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/06/2021
धनराज आसेरी
उप प्रबन्धक

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 06

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

26/05/21
19/06/2021
धनराज आसेरी / DHANRAJ ASEERI
उप प्रबन्धक / Dy. Manager
एन.ए. 1, प्लॉट 1, राजपुरा-1
राजपुरा-1, प्लॉट 1, राजपुरा-1

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 07

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक



Condition No. 08

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बोने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण कराने का व्यय उप वन संरक्षक कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबंधक



Condition No. 9

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" हेतु जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

[Handwritten Signature]
19/01/24
धनराज आसेरी
उप-प्रबन्धक
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
प्लॉट नं. 1, पुराना, सीकर-335001
राजस्थान

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No.10

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div. 0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु यूजर एजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

धनराज आसेरी
19/01/24
उप-प्रबन्धक
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
प्लॉट-1, पट्टी, सिकर-2
जोधपुर, राजस्थान

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur


Name: धनराज आसेरी
Office Seal & Signature:
Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 12

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये हैं, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

(Signature)
धनराज आसेरी
उप-प्रबंधक

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक

Condition No. 13

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (JodhpurDiv.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/01/24
19/01/24
धनराज आसेरी
उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप - प्रबन्धक

Condition No. 14

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

19/01/24
DHANRAJ ASERI
Up Manager
Transmission Division
Rajasthan Electricity Board

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबन्धक

Condition No. 15

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। इस हेतु यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Name:

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक

19/01/24
STATE ENGINEERING AGENCY
Jodhpur, Rajasthan
धनराज आसेरी
उप-प्रबंधक

Condition No. 16

Full title of the Project : "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)"

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/142545/2021

Date of Proposal : 31-05-2021

Diversion Area : 0.5428Ha. (Jodhpur Div.0.221 Ha & Nagaur Division- 0.3216 Ha.)

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि धनराज आसेरी, उप प्रबन्धक, सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (100% Subsiding of POWERGRID) नागौर द्वारा "Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line, District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)" दौरा GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की पालना की जावेगी। इस हेतु यूजर ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

Place: Nagaur

Handwritten signature and date: 19/01/24
धनराज आसेरी / DHANRAJ ASEERI
जुनियर / Dy. Manager
प्रोजेक्ट - 1, चण्डी, बी.एस.सी.
सकलपिंडी जिला हासिलेशन डिपार्टमेंट

Name: धनराज आसेरी

Office Seal & Signature:

Designation: उप-प्रबंधक



e-PayOrder Details

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number
CNACUYGSHZ

Debit Status Success

Scheduled Time 11-Jan-2024 [12:00 AM] IST

Date 11-Jan-2024	
PAY RAJASTHAN CAMPA.	
RUPEES (in Words) Twelve Lakhs Thirty One Thousand Seven Hundred and Fifty Four only	
Rs. 12,31,754.00	
ACCOUNT NO 00000040229002761	
STATE BANK OF INDIA	
CAG-NEW DELHI	
supriya sharma	
MAKER	
MANISHA DHOLKHERIA	
Authorizer 1	
MUNISH	
Authorizer 2	
2400002355231124	
"CNACUYGSH2"	

Counterfoil Description

Other

Transaction Type

NEFT Funds transfer

GSTIN Number

1

Debt Account Details

Account No.	Branch	Amount
00003040229002761	CAG-II NEW DELHI	12,31,754.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status	UTR No.
RAJASTHAN CAMPA/1508564142545953	FCS BANGALORE/UNION BANK OF INDIA/UBIN0996535	12,31,754.00	Credited to Beneficiary Account	SBIN224012060219

10/10/19

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
एन सी ई डी एल & बीएसएनएल लिमिटेड
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश

Date : 03-01-2024

Agency Name.	SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED
Application No.	64142545953
MoEF/SG File No.	1(106)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address.	Sikar 400/220kV Sub-station, Vill.-Bhadadhar, Post-Khuri BadiSikar
Amount(in Rs)	1231754/-

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564142545953 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Union Bank of India

A Government of India Undertaking

अमरावती

Anandnagar

अमरावती नगर

Anandnagar Corporation

Date : 03-01-2024

Agency Name.	SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED
Application No.	64142545953
MoEF/SG File No.	1{106}FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address:	SIkar 400/220kV Sub-station, VIII.-Bhadadhar, Post-Khuri Badi Sikar
Amount(in Rs)	1231754/-

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564142545953 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unlonbankofindia.bank

19/01/2024
WEEKLY MANAGER
STATION 1, WILK, DUNDEE
STATION 1, WILK, DUNDEE

भीतवाड़ा: दूसरे दिन मुरी, घरटा व डाबता
आम्र पांचायत क्षेत्र में 113 भद्रियों को दहाया

[illegible][illegible]

4th Year					
Sl. No.	Name	Grade	Score	Percentage	Remarks
1	Abhishek Kumar	10th	85	85%	Good
2	Amit Singh	10th	78	78%	Good
3	Anjali Sharma	10th	92	92%	Excellent
4	Arjun Singh	10th	70	70%	Good
5	Divya Singh	10th	88	88%	Good
6	Harsh Singh	10th	75	75%	Good
7	Ishika Singh	10th	80	80%	Good
8	Jay Singh	10th	72	72%	Good
9	Kavya Singh	10th	85	85%	Good
10	Krunal Singh	10th	78	78%	Good
11	Madhvi Singh	10th	82	82%	Good
12	Neha Singh	10th	75	75%	Good
13	Nikhil Singh	10th	80	80%	Good
14	Pooja Singh	10th	78	78%	Good
15	Ravi Singh	10th	70	70%	Good
16	Rishabh Singh	10th	85	85%	Good
17	Rohini Singh	10th	72	72%	Good
18	Sakshi Singh	10th	88	88%	Good
19	Samir Singh	10th	75	75%	Good
20	Sanya Singh	10th	80	80%	Good
21	Shivam Singh	10th	78	78%	Good
22	Shruti Singh	10th	82	82%	Good
23	Siddhant Singh	10th	70	70%	Good
24	Smit Singh	10th	85	85%	Good
25	Sonam Singh	10th	72	72%	Good
26	Sparsh Singh	10th	80	80%	Good
27	Swati Singh	10th	78	78%	Good
28	Tanish Singh	10th	75	75%	Good
29	Ujjwal Singh	10th	82	82%	Good
30	Vaibhav Singh	10th	70	70%	Good
31	Vansha Singh	10th	85	85%	Good
32	Vedant Singh	10th	72	72%	Good
33	Vishal Singh	10th	80	80%	Good
34	Vishnu Singh	10th	78	78%	Good
35	Vivika Singh	10th	75	75%	Good
36	Yash Singh	10th	82	82%	Good
37	Yashika Singh	10th	70	70%	Good
38	Yashraj Singh	10th	85	85%	Good
39	Yashvi Singh	10th	72	72%	Good
40	Yashwanth Singh	10th	80	80%	Good
41	Yashvi Singh	10th	78	78%	Good
42	Yashvi Singh	10th	75	75%	Good
43	Yashvi Singh	10th	82	82%	Good
44	Yashvi Singh	10th	70	70%	Good
45	Yashvi Singh	10th	85	85%	Good
46	Yashvi Singh	10th	72	72%	Good
47	Yashvi Singh	10th	80	80%	Good
48	Yashvi Singh	10th	78	78%	Good
49	Yashvi Singh	10th	75	75%	Good
50	Yashvi Singh	10th	82	82%	Good

સાવિત્રી સચિવાલય

राजस्थान सरकार
वन विभाग
दिल्ली- (01.12.2021)

निम्न १९९० के सम्बन्धित सामान्य सूचिकादि के तहत भाग-२ के
 Section II के Sub-Section II Transmittal Section हेतु ०.५४२५ टियरर वन
 गई है। मजदूर अधिकारी वन मजदूर अधिनियम द्वारा प्रदत्त

[illegible][illegible]

1. 10 अंश तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक
 2. प्रश्न दत्त व समाप्ति करते ही परीक्षा समाप्त
 3. Time & Monitoring of Forest & Wildlife Classroom (TMMF)
 4. प्रश्न की जांच
 5. प्रश्न की जांच
 6. प्रश्न की जांच
 7. प्रश्न की जांच
 8. प्रश्न की जांच
 9. प्रश्न की जांच
 10. प्रश्न की जांच

[illegible]

• इन्वेस्टमेंट

23 स्मॉल-कैप फंड्स ने दिया 32.7% का औसत सालाना रिटर्न

• मार्गदर्शक कंपनी के द्वारा 2022 अक्टूबर 2023 तक 23 स्मॉल-कैप फंड्स ने 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया।
• 23 स्मॉल-कैप फंड्स में से 15 फंड्स ने 20% से अधिक रिटर्न दिया।
• 23 स्मॉल-कैप फंड्स में से 15 फंड्स ने 20% से अधिक रिटर्न दिया।
• 23 स्मॉल-कैप फंड्स में से 15 फंड्स ने 20% से अधिक रिटर्न दिया।

• ईवी इंडस्ट्री

शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा

• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।
• शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज टेस्ला से भी ज्यादा।

• डेट मार्केट

सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा

• सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।
• सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा।

• फंड रेंजिंग

6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल

• 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।
• 6 माह में 80% उछले वोडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल।

भास्कर Analysis • देश में छापत बढ़ने का संकेत, रिटेल लोन में 20 फीसदी से ज्यादा उछाल

असुरक्षित लोन टाई गुना रफ्तार से बढ़े

विशेष साक्षात्कार | 19वें



2024 में बढ़त लोन हैं वे टैटू
2024 में बढ़त लोन हैं वे टैटू
2024 में बढ़त लोन हैं वे टैटू
2024 में बढ़त लोन हैं वे टैटू

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी

विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें
विशेष साक्षात्कार | 19वें

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 08/2023-24 Corrigendum No. 09
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 08/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/40/080271
(H.K. Agrawal)
Additional Chief Engineer (Project)
PHED Bharatpur
DIR/CR/16215/2023

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 10/2023-24 Corrigendum No. 04
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 10/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/40/080271
(H.K. Agrawal)
Additional Chief Engineer (Project)
PHED Bharatpur
DIR/CR/16216/2023

Government of Rajasthan
Office of the District Collector and District Magistrate (District-Bundi)
FR/2 CPO/ASP B/2023/1240 Dated: 27.12.2023
Invited applications under:
Aspirational Block Program (ABP) for District-Bundi
The Government of Rajasthan is seeking applications for Aspirational Block Program.
The applications will be accepted through hard copy and also through the e-mail: cpo_bundi@yahoo.com. The applications will be opened from 28.12.2023 (commencing date) and shall close on 01.01.2024 (closing date) at 12:00 PM.
The applications form, Eligibility criteria, procedure for selection, stipend and other details are available at the district website: aspirationalblockprogramrajasthan.gov.in
This program does not provide any type of employment or guarantee for any employment in future.
(Dr. Ravindra Goswami)
District Collector and District Magistrate Bundi
DIR/CR/16550/2023

कार्यालय ग्राम पंचायत दूदवा
पंचायत समिति पित्तली, जिला झुनझुन
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस

कार्यालय ग्राम पंचायत दूदवा
पंचायत समिति पित्तली, जिला झुनझुन
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 08/2023-24 Corrigendum No. 09
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 08/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/40/080271
(H.K. Agrawal)
Additional Chief Engineer (Project)
PHED Bharatpur
DIR/CR/16215/2023

Office of the Additional Chief Engineer (Project) PHED Bharatpur
E-mail: acephed@gmail.com, acephed@phed.bharatpur.gov.in
Notice Inviting Bid No. 10/2023-24 Corrigendum No. 04
Due to unavoidable circumstances bid submission date of this office NIT No. 10/2023-24 has been extended and last date of submission has been made as 15.01.2024.
Other terms and conditions will remain same as per original NIT. UBN No. PHED/23/40/080271
(H.K. Agrawal)
Additional Chief Engineer (Project)
PHED Bharatpur
DIR/CR/16216/2023

Government of Rajasthan
Office of the District Collector and District Magistrate (District-Bundi)
FR/2 CPO/ASP B/2023/1240 Dated: 27.12.2023
Invited applications under:
Aspirational Block Program (ABP) for District-Bundi
The Government of Rajasthan is seeking applications for Aspirational Block Program.
The applications will be accepted through hard copy and also through the e-mail: cpo_bundi@yahoo.com. The applications will be opened from 28.12.2023 (commencing date) and shall close on 01.01.2024 (closing date) at 12:00 PM.
The applications form, Eligibility criteria, procedure for selection, stipend and other details are available at the district website: aspirationalblockprogramrajasthan.gov.in
This program does not provide any type of employment or guarantee for any employment in future.
(Dr. Ravindra Goswami)
District Collector and District Magistrate Bundi
DIR/CR/16550/2023

कार्यालय ग्राम पंचायत दूदवा
पंचायत समिति पित्तली, जिला झुनझुन
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस

कार्यालय ग्राम पंचायत दूदवा
पंचायत समिति पित्तली, जिला झुनझुन
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस
आपति आमंत्रण नोटिस

• इन्वेंस्टमेंट
23 स्मॉल-कैप फंड्स ने दिया
32.7% का औसत सालाना रिटर्न

• मुद्रास्वत फंड्स के लिए 2023 अच्छा साल था। स्मॉल-कैप फंड्स के औसत सालाना रिटर्न 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया।
• 28 फंड-कैप फंड्स ने इस साल नंबर एक रिटर्न दिया।
• 2023 का औसत सालाना रिटर्न 32.7% था। स्मॉल-कैप फंड्स के औसत सालाना रिटर्न 32.7% का औसत सालाना रिटर्न दिया।
• 28 फंड-कैप फंड्स ने इस साल नंबर एक रिटर्न दिया।

• ईवी इंडस्ट्री
शाओमी ने पेश की इलेक्ट्रिक कार, रेंज देसला से भी ज्यादा

• शाओमी कंपनी हाल ही में चीन में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार पेश की है। इसका नाम 'एरो' (एरो) है। यह एक इलेक्ट्रिक कार है।
• कंपनी इस कार को 'एरो' नाम से बाजार में लाएगी।
• 'एरो' की रेंज देसला से भी ज्यादा है।
• कंपनी इस कार को 2024 में बाजार में लाएगी।

• डेट मार्केट
सरकारी बॉन्ड में 1.3 लाख करोड़ विदेशी निवेश, ये दोगुने से ज्यादा

• विदेशी निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड में तेजी से पैसा लगाया है।
• सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का निवेश 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
• सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का निवेश 1.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

• फंड रेटिंग
6 माह में 80% उछले वॉइडफोन के शेयर, इससे पूंजी जुटाना मुश्किल

• वॉइडफोन के शेयर छह माह में 80% बढ़ चुके हैं।
• वॉइडफोन के शेयर छह माह में 80% बढ़ चुके हैं।
• वॉइडफोन के शेयर छह माह में 80% बढ़ चुके हैं।

संख्यान Analysis • देश में चापत बढ़ने का संकेत, रिटेल लोन में 20 फीसदी से ज्यादा उछाल

असुरक्षित लोन ढाई गुना रफ्तार से बढ़े

विशेष संवाददाता | मुंबई

पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित ऋणों का लोन बढ़ने की गति तेजी से बढ़ रही है। इससे बैंकों के जोखिम बढ़ रहे हैं।

2024 में बढ़त दरवाजा है बैंक

2023 में बढ़त दरवाजा है बैंक

2024 में बढ़त दरवाजा है बैंक

सोना 500, चांदी 550 रु. महंगी

सोना (999.9)	चांदी (999.9)
500 रु.	550 रु.

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

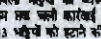
विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

विवाता का डिमिटी ग्रेफोरा में निवेश का प्रस्ताव

And display any other

भीलवाड़ा: दूसरे दिन मुरी, घरटा व डाबला ग्राम पंचायत क्षेत्र में 113 महिलाओं को टहलया

पेक्षातून प्रेक्षात कलकत्ता येथील एका शाळेच्या बालकांनी 'पेक्षातून प्रेक्षात' या नावाचे एक प्रोग्राम तयार केला आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे.



पेक्षातून प्रेक्षात कलकत्ता येथील एका शाळेच्या बालकांनी 'पेक्षातून प्रेक्षात' या नावाचे एक प्रोग्राम तयार केला आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे.

पेक्षातून प्रेक्षात कलकत्ता येथील एका शाळेच्या बालकांनी 'पेक्षातून प्रेक्षात' या नावाचे एक प्रोग्राम तयार केला आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे. या प्रोग्रामात बालकांनी आपापसांत एकमेकांना प्रेक्षातून प्रेक्षात करून घेतले आहे.

[illegible]

प्रधान मंत्री विभाग-				पूर्व से पश्चिम				
प्रधान मंत्री का नाम	संविधान का अनुच्छेद	शेखर का अनुच्छेद	प्रांत	प्रतिपक्ष	पूर्व	पश्चिम	पूर्व	पश्चिम
२६/१२-२६	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	२६.१	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
२७/१२-२७	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	२७.२	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
२८/१२-२८	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	२८.३	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
२९/१२-२९	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	२९.४	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
३०/१२-३०	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	३०.५	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
३१/१२-३१	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	३१.६	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
३२/१२-३२	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	३२.७	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
३३/१२-३३	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	३३.८	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष
३४/१२-३४	अनुराध का अनुच्छेद	अनुराध का अनुच्छेद	३४.९	प्रांत	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष	प्रतिपक्ष

प्रधान मंत्री / २६/१२/१९९१

प्रधान मंत्री / २६/१२/१९९१

क्र.सं.	विवरण	भूमि के वर्ग			
		कृषि	वन	नगर	ग्राम

क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.	क्र.सं.
08.71	08.72	08.73	08.74	08.75	08.76
08.77	08.78	08.79	08.80	08.81	08.82
08.83	08.84	08.85	08.86	08.87	08.88
08.89	08.90	08.91	08.92	08.93	08.94
08.95	08.96	08.97	08.98	08.99	09.00
09.01	09.02	09.03	09.04	09.05	09.06
09.07	09.08	09.09	09.10	09.11	09.12
09.13	09.14	09.15	09.16	09.17	09.18
09.19	09.20	09.21	09.22	09.23	09.24
09.25	09.26	09.27	09.28	09.29	09.30
09.31	09.32	09.33	09.34	09.35	09.36
09.37	09.38	09.39	09.40	09.41	09.42
09.43	09.44	09.45	09.46	09.47	09.48
09.49	09.50	09.51	09.52	09.53	09.54
09.55	09.56	09.57	09.58	09.59	09.60
09.61	09.62	09.63	09.64	09.65	09.66
09.67	09.68	09.69	09.70	09.71	09.72
09.73	09.74	09.75	09.76	09.77	09.78
09.79	09.80	09.81	09.82	09.83	09.84
09.85	09.86	09.87	09.88	09.89	09.90
09.91	09.92	09.93	09.94	09.95	09.96
09.97	09.98	09.99	10.00	10.01	10.02
10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08
10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14
10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20
10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26
10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32
10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38
10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44
10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50
10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56
10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62
10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68
10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74
10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80
10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86
10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92
10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98
10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04
11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10
11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16
11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22
11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28
11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34
11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40
11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46
11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52
11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58
11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64
11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70
11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76
11.77	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82
11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88
11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94
11.95	11.96	11.97	11.98	11.99	12.00

Bhadrak-II to Sikar-II Transmission line हेतु 0.5428 हेक्टायर जम

प्रतिष्ठापित पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धार-2 प्रस्ताव-निर्देशों के संक्षेप में Division of 0.5428 ha forest land (DCD Bhadali-II) Sake-II Transmission line (District Jodhpur, Rajasthan) के माध्यम से - FPR/TRANS/14254/2021) की वन पर प्राप्त स्वीकृत प्रस्ताव शाही के अधीन प्रदान करती है-

बाल्टि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आस-पास के किसी अन्य परमाणु के सिरे नहीं किया जायेगा।

योजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्रों जन्तुओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाई हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे।

किए जाने वाले कुओं को वन विभाग की बिना पूर्णनिष्ठा के प्रस्ताव में तैयित पद परिलक्ष्य होने पर, वन विभाग के होने।

प्रस्तावित स्तूप/बमोजर के आस-पास मजदुरी/स्वयं के कर्म्य नहीं लगाया जायेगा।

निर्माण कार्य के दौरान स्वयं पर कार्यरत मजदुरों/स्वयं कार्यवाही आधुनिक की जायेगी, ताकि निवृत्तवर्ती वनों को हानि न हो।

प्रस्तावित धनुषी के अतिरिक्त आस-पास की धनुषी प्रस्तावित निर्देश-वन्तु काटने या मरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

मजदुर लाने के नीचे रिक पड़े स्थानों पर छंटे/शौने फीटों

કેન્સર મેં તોતિય પદ પરમાલ્ચ હોન પર, વન વિભાગ કે હાગ ।
પ્રસ્તાવિત સ્થલ-વન્યોર કે આસ-પાસ મજદૂર/સ્ટાફ કે
કેમ્પ નહીં સારવાય જાયેવા ।
નિર્માણ કાર્ય કે દીર્ઘા સ્થલ પર કાર્યસર મજદૂર/સ્ટાફ
કેન્સર આપૂરો ની જાણે, તકિલ નિઠરવાનો કોઈ કો કાતિ ન હો ।
પ્રસ્તાવિત વનમુગી કે અતિરિક્ત આસ-પાસ કી વનમુગી
પરિસ્થિતિ નિઠેરી/પરેષ કાદેવા યા મરને કા કાર્ય નહીં કરવા જાયેવા ।
મુશ્કલ તારાને કે નીચે રિક્કે રહે સ્થાનો પર ઇટે/બોને પોરો
રોગોરોપણ કી યોગેના બનાવક મુશ્કલ વન સંસ્કલ સે અનુબોદન
કે સાથ પર કુશ્વરોરના કાર્યા જાયેવા ।
નિર્માણ સ્વીકૂરી કી પાલના કે સાથે અફ.આર.પી. સાર્વિકેન્ટ
તમા હો સિથિલ સ્વીકૂરી પર વિશ્વાર કીયા જાયેવા ।
ન ન હવં અધિન મેં યોગેના પર ઘાઘૂ સારૂ નિયમ, જાનૂન નના
કેરેગા ।
પરમાલ્ચ પર વન વિભાગ દ્વારા મૂલ્ય સે 10 રૂબી કા પાતળ હોને પર
મુશ્કલ થાયેવા કા પાતળ હોને પર પાતળ રીકે જેને જાણે રૂબી કા
પરમાલ્ચ પર વન વિભાગ દ્વારા મૂલ્ય સે 10 રૂબી કા પાતળ હોને પર

का झूलारोत एवँ 10 बरँ तका एकरछाय बिया जागै।
 इ हाता बर्तमान दरो को समझित करै हुये रजि विषयेरौट
 डिप्लोमा एवँ Mothoring of Forest & Wildlife (Clearance Permit)
 दाना जमा की जायेगी।

मानवीय प्छेवतन व्यायालय के रिट पिटीशन (सिडिओ)
 आई.पी. संख्या 568 एवँ बरत सलार को पत्र संख्या
 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA विनांक
 आदेशावला मुद्द बर्तमान मूल्य (एनपीडी) की निमातिर
 प्परकोत आयेरौट के अनुसार मुद्द बर्तमान मूल्य तथा सूचरी
 निमातिर सविधान के अनुच्छेद तथा योजना प्राधिकरण के तथ्य
 एम्पवाएर द्वारा सुनिश्चित ई-प्रालान तथा काम करायी जायेगी।

जन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक / पर्सनल एंटी गम्बर की छाया प्रति सहित सैदापिक स्वीकृति / एमएनएमटी का गुं राशि का नवराय विवरण हो) प्रेषित की स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

राज्य का वचनमद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर परों में बढाती होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोगी करत जमा की जायेगी।

गई इस अनुमति का प्रयोधन संबधित होश्रीय कार्यालय, व. भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

17-12-2012/एसोसिएशन 24/01/2013 में माननीय प्रा. 7.11.2012 को पारित विनय की पालना प्रक्रिया में सुनिश्चित करने में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक समन्वय पत्र में अंतरः प्रणालित करता एवं जारी प्रमाणित निकाय पंचायत एवं नगरपालिका को सज्जकी लाईने के 30 दिन के अन्तर उपलब्ध करता सुनिश्चित करे। Transmission लाईनों को भूगिरात करने का या बड़ डायमटर माननीय उच्छ्रत न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय न्यायिक में सज्जी से पालना सुनिश्चित की जारे।

7

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01562-241046, फैक्स : 01562-246175, ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक : एफ (77)एफसीए/उवसं/2023-24/7684 दिनांक 20-12-23
निमित्त :

Deputy Manager,
Sikar New Transmission Limited, Sikar
400/200 KV Sub-Station, Village-Bhadadhar,
Post-Khuri Badi, 13th mile stone, Sikar-Bikaner Highway,
Sikar-332315

**विषय : Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of
765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total
Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner,
Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan)**

Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021

**संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 जयपुर,
दिनांक 06.12.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में 0.3216 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तोंधीन प्रदान की है अतः शर्तों अनुसार निम्न बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करावे :-

1. **बिन्दु संख्या 8** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2,10,333/- (अक्षरे दू लाख दस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा जमा करावे।
2. **बिन्दु संख्या 11** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धन राशि 1,98,000/- (अक्षरे एक लाख अठानवे हजार रुपये मात्र) राशि संलग्न प्रपत्र अनुसार जमा करावे।
3. **बिन्दु संख्या 12** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) राशि 2,15,517/- (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ सत्रह रुपये मात्र) राशि संलग्न प्रपत्र अनुसार जमा करावे।

उक्त तीनों बिन्दुओं की शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी समी निधियो प्रतिपति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वैबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर एवं जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावे।

Signature valid

RajKaj Ref
5208061



Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.20 16:21:33 IST
Reason: Approved

[Handwritten Signature]
19/12/24
S. Kumar Thakor, Deputy Manager
Sikar New Transmission Limited
Sikar-332315

उक्त के अलावा सैद्धांतिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 16 की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट सैद्धांतिक स्वीकृति अनुसार परिवेश पोर्टल 1.0 पर ऑनलाइन करते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुनील कुमार)

उप वन संरक्षक

नागौर

दिनांक : 20-12-23

क्रमांक : सम./ 7685-87

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डीडवाना को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण आपकी रेंज अधीन ग्राम आजवा की कुल 0.3216 हैक्टर रक्षित घोषित सड़क पट्टी पर प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में उच्च कार्यालय से कार्यानुमति प्राप्त होने से पूर्व प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि पर कोई गैर वानिकी कार्य नहीं होने देना सुनिश्चित करें।

Signature
19/10/24
CHANDRAJ ASERI
उप वन संरक्षक / Dy. Manager
राजस्थान वन विभाग, जयपुर
आवधिकार क्षेत्र / Jurisdiction

RajKaj Ref
5208061

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.20 16:21:33 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ (77)एफसीए/उवस/2023-24/7688

दिनांक : 20-12-23

निमित्त :

Deputy Manager,

Sikar New Transmission Limited, Sikar, 400/200 KV Sub-Station, Village-Bhadadhar,

Post-Khuri Badi, 13th mile stone, Sikar-Bikaner Highway, Sikar-332315 ।

रशि मांग पत्र

- प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Diversion of 0.3216 ha. Forest Land for Construction of 765KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line, Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) Proposal No : FP/RJ/TRANS/142545/2021
- सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : राज0 सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 जयपुर, दिनांक 08.12.23

- व्यजीव स्वीकृति का विवरण :

- प्रत्यावर्तित होने वाली वन भूमि का विवरण (हे०)

CATEGORY	RESERVED FOREST	PROTECTED FOREST	UNCLASSIFIED FOREST	DEEMED FOREST	OTHERS	TOTAL
Area(ha.)	-	-	-	-	0.3216	0.3216

- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	TOTAL
Area(ha.)	-	0.50	0.50

Signature valid

RajKaj Ref
5208061

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 19:21:33 IST
Reason: Approved

20/12/23
19/12/24

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 19:21:33 IST
Reason: Approved

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे :

शर्त क्रमांक	अधिरोधित शर्त विवरण	मांग राशि का मद	क्षेत्रफल (है0)/ संख्या / मात्रा	दर/ गणना सूत्र	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8
8	विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2,10,333/- (अक्षरे दो लाख दस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा जमा करावे।		0.3216	0.3216x 654021	210333	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	C.A.(DFL)	0.50	198000	198000	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	NPV	0.3216	0.3216x 670140	215517	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान के माध्यम से	

Signature valid

RajKaj Ref
5208061

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 15:21:33 IST
Reason: Approved

19/10/24
Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.22 15:21:33 IST
Reason: Approved

5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में दिये गये आदेशानुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई घनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	योग
623850	

(सुनील कुमार)
उप वन संरक्षक,
नागौर

Signature valid

Digitally signed by S. Kumar Thakor
Designation: Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.28 15:21:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5208061

19/01/24

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (106) वन/2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:- 06.12.2023

विषय:- Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar , Rajasthan.

संदर्भ:-ऑनलाईन (परिवेश 1.0) प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/142545/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED (प्रयोजकता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line हेतु **0.5428** हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.5428 ha forest land for Construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar-II Transmission line ,District- Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan) (Proposal No. - FP/RJ/TRANS/142545/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:—

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर वन (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा।

Validity unknown

Digitally signed by Mohan Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:22:56 IST
Reason: Approved

9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. GIB Arc के अन्तर्गत Transmission लाईनों को भूमिगत करने का या बर्ड डायवर्टर लगाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

Validity unknown

RajKaj Ref
5138665

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:23:54 +05'30'
Reason: Approval
विशेषाधिकारी, वन

19/01/24
DR. MANU DHANRAJ ASHOK
Deputy Conservator of Forest
राजस्थान सरकार, जयपुर
Digitally signed by Dr. Manu Dhanraj Ashok

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
6. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
7. उप वन संरक्षक, जोधपुर
8. उप वन संरक्षक, नागौर
9. उप वन संरक्षक, सीकर
10. SIKAR NEW TRANSMISSION LIMITED, Sikar 400/220kV Sub-station, Vill.-Bhadadhar, Post-Khuri Badi, 13th mile stone, sikar-bikaner highway, Sikar 332315
11. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी

Validity unknown

RajKaj Ref
5138665

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.06 16:22:56 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

19/10/24
महाराजगढ़, राजस्थान
जयपुर-7, राजस्थान
कार्यालय वन विभाग

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

No. 4860

Dated. 25/05/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2212 hectare** of forest land purposed to be diverted in favour of **Powergrid Sikar Transmission Limited** for Construction of **765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line overhead crossing of the Kan Singh Ki Sid (Khasra No. 254/1) of Bap Tehsil by 765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line Under Tehsil Bap District Jodhpur, State Rajasthan Falls within jurisdiction of Jodhpur.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2212 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above.

No. Revenue/Forest/Diversion/22/4861

Copy Forwarded to :

1. DCF, Teritorial, Jodhpur.



(Signature)

(Himanshu Gupta)

District Collector

Jodhpur

Date : 25/05/2022

क्रमांक:- राजस्व / FRA / 2022 / 4859

दिनांक : 25/05/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम कान सिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नंबर 254/1 तादादी 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में आने वाले प्रस्तावित. रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2022 को आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-

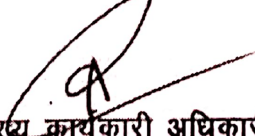
- | | |
|------------------------|---|
| 1. श्री हिमांशु गुप्ता | जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. श्री अभिषेक सुराणा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 08.03.2022 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 254/1 में 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन की स्थापना हेतु 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


उप वन संरक्षक,
जोधपुर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर


जिला कलक्टर,
जोधपुर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता:- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल:- sdmbap-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र:- 02921-277050

क्रमांक: / सामा. / विविध / FRA / 2022 / 6483

दिनांक:- 08/11/22

—: बैठक कार्यवाही विवरण:—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/22/1580 दिनांक 16.02.2022 की अनुपालना में आज दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 12:00 बजे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती प्रतीज्ञा सोनी, तहसीलदार बाप।
2. श्री प्रवीण सिंह, विकास अधिकारी प.स. बाप।
3. श्री हासमखां, सहायक वनपाल, वन विभाग बाप।
4. श्री मुकेश कुमार स्वामी, सहायक प्रबन्धक पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, फलोदी।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लिमिटेड ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. ग्राम कानसिंह की सिड टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाप

तहसीलदार बाप

(हरिसिंह देवल)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बाप(जोधपुर)

Annexure-I

FORM-I
(For LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(05)(163)Rev/2022/

Date :

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28th October, 2014 it is certified that **0.3216** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Powergrid Sikar Transmission Limited Nagaur** for construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar II Transmission line (purpose for diversion of forest land) along the **Ladnu-Didwana** on road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Ajawa** village in **Didwana** Tehsil.

It is further certified that the above **0.3216** hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13th day of December 2005 and are located in village **Ajawa** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011".

No. Same/

4684-85

(Peeyush Samariya)
District Collector, Nagaur

Dated 15-06-22

- ✓ 1. Copy forwarded to Dy. Manager, Powergrid Sikar Transmission Limited, Nagaur with original certificate.
2. Dy. Conservator of Forest, Nagaur
3. Guard File

(Mohan Lal Khatnawalia)
Add. District Collector
Nagaur

CE 924
19/01/24
WITH M/S. DHANAJ AGRO
THRU Dy. Manager
THRU Dy. Conservator
THRU District Collector

Annexure-I

**FORM-I
(For LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur**

No. F.12(05)(L63)Rev/2022/ 4683

Date : 15-06-22

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28th October, 2014 it is certified that **0.3216** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Powergrid Sikar Transmission Limited Nagaur** for construction of 765 KV D/C Bhadla-II to Sikar II Transmission line (purpose for diversion of forest land) along the **Ladnu-Didwana** on road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Ajawa** village in **Didwana** Tehsil.

It is further certified that the above **0.3216** hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13th day of December 2005 and are located in village **Ajawa** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011".


(Peeyush Samariya)
District Collector, Nagaur


19/06/22
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
NAGOUR, DISTRICT, RAJASTHAN
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR

No. 4860

Dated. 25/05/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2212 hectare** of forest land purposed to be diverted in favour of **Powergrid Sikar Transmission Limited** for Construction of **765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line overhead crossing of the Kan Singh Ki Sid (Khasra No. 254/1) of Bap Tehsil by 765 KV D/C Bhadla II to Sikar II Transmission Line Under Tehsil Bap District Jodhpur, State Rajasthan Falls within jurisdiction of Jodhpur.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2212 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to Annexure C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent on it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

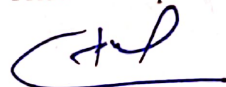
Encls.: As above.

No. Revenue/Forest/Diversion/22/4861

Copy Forwarded to :

1. DCF, Teritorial, Jodhpur.





(Himanshu Gupta)

District Collector

Jodhpur

Date : 25/05/2022

क्रमांक:- राजस्व/FRA/2022/4859

दिनांक :25/05/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तहसील बाप के ग्राम कान सिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नंबर 254/1 तादादी 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में आने वाले प्रस्तावित. रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2022 को आहूत की गयी। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-

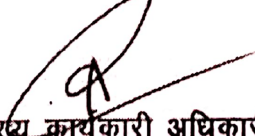
- | | |
|------------------------|---|
| 1. श्री हिमांशु गुप्ता | जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष) |
| 2. श्री अभिषेक सुराणा | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर |
| 3. श्री विकास अरोड़ा | उप वन संरक्षक, जोधपुर |

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड बाप में दिनांक 08.03.2022 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर 765 के. वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित की जाने से किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उपखण्ड स्तरीय समिति ने ग्राम पंचायत की अनुमोदित भूमि को पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 के.वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया गया है।

उक्त 765 के.वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन स्थापित करने हेतु प्रभावित होने वाली 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है।

तदनुसार तहसील बाप के ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 254/1 में 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि पर पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. डी./सी. भडला-॥ से सीकर-॥ पारेषण लाईन की स्थापना हेतु 0.2212 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।


उप वन संरक्षक,
जोधपुर


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर


जिला कलक्टर,
जोधपुर



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

कार्यालय का पता:- उपखण्ड कार्यालय परिसर, बाप

ईमेल:- sdmbap-jod-rj@nic.in

संपर्क सूत्र:- 02921-277050

क्रमांक: / सामा. / विविध / FRA / 2022 / 6483

दिनांक:- 08/11/22

—: बैठक कार्यवाही विवरण:—

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/एफआरए/22/1580 दिनांक 16.02.2022 की अनुपालना में आज दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 12:00 बजे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अनुसार जारी वनभूमि आयोजन वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती प्रतीज्ञा सोनी, तहसीलदार बाप।
2. श्री प्रवीण सिंह, विकास अधिकारी प.स. बाप।
3. श्री हासमखां, सहायक वनपाल, वन विभाग बाप।
4. श्री मुकेश कुमार स्वामी, सहायक प्रबन्धक पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, फलोदी।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, के द्वारा ग्राम कानसिंह की सिड में टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लिमिटेड ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
2. ग्राम कानसिंह की सिड टॉवर लोकेशन (4/0-5/0) खसरा नम्बर 254/1 तादादी (0.2212) हेक्टेयर पर 765 केवी डी/सी भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः पावरग्रिड सीकर ट्रॉन्समीशन लिमिटेड, भड़ला II-सीकर-II ट्रॉन्समीशन लाईन हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाप

तहसीलदार बाप

(हरिसिंह देवल)
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बाप(जोधपुर)

कमांक: एफ(137)FCA/उवसं/2023/14135

दिनांक: 29/12/2023

निमित्त:-प्रबन्धक

पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
नागौर, राजस्थान

विषय:- Construction of 765 KV DC Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan), PROPOSAL No. FP/RJ/ TRANS /142545/2021, Jodhpur Division Area-0.2212 Ha

संदर्भ:-राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 दिनांक 06.12.2023 एवं उच्च कार्यालय द्वारा प्राप्त निर्देश दिनांक 27.12.2023 के अनुक्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (106) वन/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0.2212 ha of forest land for Construction of 765 KV DC Bhadla-II to Sikar-II Transmission Line Total Route Length 305.900 KM District-Jodhpur, Bikaner, Nagaur, Churu & Sikar (Rajasthan), PROPOSAL No. FP/RJ/ TRANS /142545/2021 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:-

बिन्दु संख्या 8-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 6,54,021 X 0.2212 = 144669/- (अक्षरे एक लाख चवालिस हजार छः सौ उन्नसतर रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 11:-प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रुपये 3,15,000/- (अक्षरे तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

बिन्दु संख्या 12- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत निर्धारित मान्यता के अनुसार मान्यता प्राप्त मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N Godavarman Thirumudal v. Union of India) में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV @ 140 रुपये/हेक्टर (140 रुपये/हेक्टर) 1,48,235/- (अक्षरे एक लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) ई-चालान द्वारा राजस्थान कैम्पा मद में जमा करावे।

Signature valid

Digitally signed by T. N Godavarman Thirumudal, Designation: Deputy Conservator Of Forest, Date: 2023.12.29 15:47:03, Reason: Approved

कृ०पृ०उ०

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 16 की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

इस कार्यालय पत्र क्रमांक एफ(137)FCA/उवसं/2023/13775- दिनांक 08.12.2023 को निरस्त किया जाता है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजित उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
3. सहायक वन संरक्षक फलोदी
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में रेंज बाप के अधिकार क्षेत्र के ग्रामों पर एन.एच. 15 की कुल 0.2212 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण आपकी रेंज से संबंधित है। अतः जब तक उक्त कार्यालय से कार्यानुमति प्राप्त न हो तब तक कोई गैर वानिकी कार्य नहीं होने देना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
5248655

Signature valid

Digitally signed by उप वन संरक्षक
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.12.29 15:47:03 IST
Reason: Approved